न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 37/अपील/2024 (GCMS No. 2024/104)	22.07.2024	05.02.2025

1. कल्याणी पत्नी छोटूलाल जाति धाकड,
   निवासी ग्राम उमरच, तहसील एवं जिला बून्दी
2. छोटूलाल आ. जगन्नाथ जाति धाकड,
   निवासी ग्राम उमरच, तहसील एवं जिला बून्दी

– अपीलांटस

बनाम

1. दयाराम आ. छोटूलाल जाति धाकड़, नि0 ग्राम उमरच, तह. बून्दी
2. राकेश आ. छोटूलाल जाति धाकड़, नि0 ग्राम उमरच, तह. बून्दी
3. महेन्द्र आ. छोटूलाल जाति धाकड़, नि0 ग्राम उमरच, तह. बून्दी
4. हरिप्रकाश आ. छोटूलाल जाति धाकड़, नि0 ग्राम उमरच, तह. बून्दी

– रेस्पोडेन्टस

अपील वास्ते माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

उपस्थित–

अपीलान्टस की ओर से श्री आशुतोष शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्टस की ओर से श्री रामकैलाश नागर, एडवोकेट।

:: निर्णय ::

यह अपील अपीलांटस द्वारा उपखण्ड अधिकारी बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 3/2022 बउनवान कल्याणी बाई, छोटूलाल बनाम दयाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 27.05.2024 से अप्रसन्न होकर माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत इस न्यायालय में पेश की गयी है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपीलें प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 37/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2024/104 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस वृद्ध आयु के पति पत्नी है तथा रेस्पोडेंटस अपीलांटस के पुत्र है। अपीलांटस द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत उपखण्ड अधिकारी बून्दी के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि वे 72–73 वर्ष की वृद्ध आयु के व्यक्ति है जो घुटनों के दर्द, रक्तचाप व शुगर अस्थमा जैसी बीमारियों से ग्रस्त है। वर्तमान में अपीलांटस रेस्पो.सं. 4 के पास रहकर जीवन बसर कर रहे है। अपीलांटस को अपने इलाज खर्च शुल्क, चिकित्सा सहायता एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वाहन हेतु 10–12 हजार रूपये प्रतिमाह खर्च करना पडता है। अपीलांटस दोनों को इलाज, भोजन, वस्त्र हेतु 30,000/– रूपये प्रतिमाह की आवश्यकता है। रेस्पों.सं.1 लगायत 3 सरकारी नौकरी एवं 40–45 बीघा सिंचित भूमि से अच्छी आय प्राप्त कर रहे है, से अपीलांटस को 30,000/– रूपये मासिक गुजारा भरण पोषण राशि दिलाई जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेंटस की सुनवाई की जाने के बाद विचारण न्यायालय ने अपीलांटस को 6,000 रूपये प्रतिमाह (दो–दो हजार) रेस्पो.सं. 1, 2, 3 प्रत्येक से दिलाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के द्वारा अपीलांटस को भरण पोषण निमित्त देय राशि दोनों अपीलांटस के जीवन निर्वाह इलाज, दवा खर्चा, भोजन, वस्त्र, आवास व सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के लिए बहुत कम है, जो मंहगाई के जमाने में बढाकर 30,000/– रूपये मासिक राशि रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 से दिलाई जावे। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.23 को प्रस्तुत आवेदन के संबंध में दिनांक 27.05.24 को आदेश पारित किया गया। किन्तु उक्त आदेश में विचारण न्यायालय ने आदेश पालना संबंधी तिथि का अंकन नहीं किया गया। वास्तव में कानूनी रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से ही अपीलांटस को सहायता गुजारा भत्ता/ भरण पोषण राशि मासिक रूप से दिलवाये जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने वार्षिक मंहगाई वृद्धि दर के अनुरूप राशि बढोत्तरी के संबंध में भी उल्लेख नहीं किया, जो किया जाना चाहिए था। वर्तमान में युग में 8 प्रतिशत से अधिक वार्षिक मंहगाई दर है, इस कारण आदेश में वार्षिक बढोतरी का आदेश किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय को उक्तानुसार आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर बून्दी

अभिभाषक रेस्पो. ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 6000/– प्रतिमाह या 24,000/– वार्षिक के हिसाब से दिनांक 27.06.2024 को जो आदेश पारित किया गया है वह बिलकुल सही है, क्योंकि रेस्पो.सं.1 लगायत 3 अपने परिवार के पालन पोषण के साथ इतनी राशि का भुगतान अपीलांटस को करने में सक्षम है। उक्त राशि अपीलांटस के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है क्योकि अपीलांटस को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी राशि प्राप्त होती है और राज्य सरकार द्वारा भी अपीलांटस को वृद्धावस्था की पेंशन प्रमिमाह दी जा रही है। अपीलांटस द्वारा अपील में तथ्य छुपाकर अपील पेश की गई है जबकि अपीलांटस के पास अलग से 10 बीघा भूमि भी कब्जा काश्त में है, जिससे अपीलांटस को अतिरिक्त आय होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.24 को आदेश पारित किये हुये अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है। कानून नियम के अनुसार अपीलांटस को निर्वाह भरण पोषण को नही बढाया जा सकता है, क्योंकि पिछले 7 महिनों में रेस्पोडेंटस की कोई आर्थिक स्थिति नहीं बदली है। ऐसे में अपील अपीलांटस खारिज की जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि अपीलांटस द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी बून्दी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बाद सुनवाई उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2024 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उनके भरण पोषण हेतु रेस्पो.सं.1 लगायत 3 प्रत्येक को पृथक पृथक 2000/–रू. प्रतिमाह या 24,000/– वार्षिक भुगतान प्रार्थीगण के बैंक खाते में जमा करवाने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश से व्यतीत होकर अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांटस द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उनकी आयु 70–72 वर्ष होना अंकित किया है तथा अपीलांटस के बीमारग्रस्त होना संलग्न दस्तावजों से प्रकट है। ऐसे में वयोवृद्ध एवं अस्वस्थ माता–पिता अपीलांटस के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि से, राज्य सरकार की वृद्धावस्था पेंशन से या कृषि आय से आजीविका चलाये जाने संबंधी अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 3 द्वारा दिये गये तर्क उचित नहीं है तथा यह रेस्पोडेंटस के अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास है, जबकि रेस्पोडेंटस पर अपने वयोवृद्ध माता पिता अपीलांटस के भरण पोषण का सामाजिक एवं कानूनी दायित्व है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

जहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2024 के संबंध में भरण पोषण राशि प्रतिमाह या वार्षिक भुगतान करने हेतु रेस्पो. को दिये गये विकल्प बाबत अपीलांटस द्वारा अपील में की गई आपत्ति का प्रश्न है तो अपीलांटस को जीवन निर्वाह के लिए भुगतान किये जाने हेतु प्रतिमाह राशि की आवश्यकता रहती है, जिसकी पूर्ति वार्षिक रूप से एकमुश्त नहीं हो सकती है। ऐसे में अपीलांटस की उक्त आपत्ति उचित प्रतीत होती है। साथ ही अपीलांटस द्वारा यह भी आपत्ति प्रकट की गई है कि आदेश में भुगतान तिथि का अंकन नहीं किया गया है जबकि प्रार्थना पत्र दायर होने की तिथि से भुगतान का आदेश दिया जाना चाहिए था। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से प्रकट है कि भरण पोषण राशि भुगतान तिथि के संबंध में आदेश में कोई अंकन नहीं है, जो न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा रेस्पो.संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक को पृथक–पृथक 2000/–रू. प्रतिमाह राशि का भुगतान अपीलांटस के बैंक खाते में जमा करवाने के आदेश प्रदान किये गये है। साथ ही अपीलांटस द्वारा उपखण्ड अधिकारी बून्दी के यहां उक्त प्रार्थना पत्र दायर किये जाने की तिथि 14.09.2023 से उक्त आदेश प्रभावी मानकर उक्तानुसार भुगतान दिनांक 14.09.2023 से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी